

# भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

## India Tourism Development Corporation Ltd.



(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनएल : 74899डीएल1965जीओआई004363

(A Government of India Undertaking)

वेबसाइट: [www.itdc.co.in](http://www.itdc.co.in)

दिनांक

निर्देश

Date 17.08.2022

Reference

एसईसी : कॉर्ड:134

प्रबंधक सूचीकरण विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 स्क्रिप सिंबल (ईक्यू) आईटीडीसी -	प्रबंधक, निगम सेवा विभाग बीएसई लिमिटेड, मुंबई फ्लोर 25, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई -400 001 स्क्रिप कोड :532189
--	---

विषय : सेबी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं विनियम (, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत प्रकटन।

आईटीडीसी परिसंपत्तियों के विनिवेश की चल रही प्रक्रिया के अनुसरण में, आईटीडीसी ने दिनांक 16.10.2019 के पत्र के माध्यम से प्रकटन किया है कि दीपम, होटल अशोक को प्रचालन और प्रबंधन (ओएंडएम)/उप-पट्टे पर देने और होटल अशोक-सम्राट परिसर में रिक्त/प्रयुक्त भूमि के इष्टतम उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए परामर्शदाता/सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

होटल अशोक सहित आईटीडीसी की परिसंपत्तियों के विनिवेश की स्थिति, आईटीडीसी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में अशोक के विनिवेश की स्थिति का उल्लेख निम्नप्रकार किया गया था:

- दीपम द्वारा 14.01.2020 को मैसर्स फीडबैक इंफ्रा को भूमि को पट्टे पर देने के नियमों और शर्तों के अध्ययन के लिए, होटल अशोक को ओएंडएम/उप-पट्टे पर देने और होटल अशोक-सम्राट परिसर में रिक्त भूमि के उपयोग के लिए लेनदेन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया।
- मैसर्स फीडबैक ने अपनी रिपोर्ट दीपम को सौंप दी।

व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 20 जुलाई, 2020 को दीपम द्वारा आईएमजी का आयोजन किया गया था।

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में, होटल अशोक के विनिवेश की स्थिति का उल्लेख निम्नप्रकार किया गया था:

- भारत सरकार द्वारा 14.01.2020 को मैसर्स फीडबैक इंफ्रा को दीपम, वित्त मंत्रालय द्वारा भूमि को पट्टे पर देने के नियमों और शर्तों के अध्ययन के लिए, होटल अशोक को ओएंडएम/उप-पट्टे पर देने और होटल अशोक-सम्राट परिसर में रिक्त भूमि के उपयोग के लिए लेनदेन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। मैसर्स फीडबैक ने दीपम को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर दीपम द्वारा 20.07.2020 को आयोजित आईएमजी में चर्चा की गई। परामर्शदाता ने स्थल को 4 भूमि पारसलों में निम्नप्रकार विभाजित करने की सिफारिश की:

पारसल 1- सम्राट होटल (4.73 एकड़): सम्राट होटल को आईटीडीसी द्वारा बरकरार रखा जाएगा।

पारसल 2 - अशोक होटल (11.5 एकड़): परामर्शदाता ने अशोक होटल को प्रचालन, प्रबंधन और विकास (ओएमडी) मॉडल पर (30+30) वर्षों के लिए लाइसेंस पर देने की सिफारिश की है।

पारसल 3 : वाणिज्यिक विकास - अतिरिक्त भूमि (1.83 एकड़)

पारसल 4- होटल/सर्विस्ड अपार्टमेंटों का विकास - अतिरिक्त भूमि (6.3 एकड़)

- परामर्शदाता की सिफारिशों पर 20.07.2020, 06.01.2021 को आयोजित अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठकों और 27.10.2020 और 15.03.2021 को आयोजित विनिवेश कोर समूह (सीजीडी) की बैठकों में चर्चा की गई।
- पिछली सीजीडी बैठक 15.03.2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें 06.01.2021 को आयोजित आईएमजी बैठक की सिफारिशों को सही ठहराया गया।
- दीपम ने पर्यटन मंत्रालय से सीजीडी की सिफारिशों और रोड शो के आयोजन के लिए आर्थिक मामला मंत्रालयी समिति (सीसीईए) का अनुमोदन लेने के लिए कहा। सीसीईए टिप्पणी का मसौदा आगे की कार्रवाई के लिए पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया था।

चालू प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एवं सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, होटल अशोक में हाइब्रिड रूप के माध्यम से व्यवहार्यता रिपोर्ट में सुझाए गए मॉडलों पर बाजार के पेशेवरों के विचार प्राप्त करने के लिए 22 अगस्त, 2022 को अपराह्न 3.30 बजे एक रोड शो निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित रोड शो के दौरान परामर्शदाता द्वारा दिया जाने वाला प्रस्तुतीकरण इसके साथ संलग्न है।

कृते भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड,

ह/-

मनीष कुमार

उप कंपनी सचिव